

घातक मामलों में कर्मचारियों के मुआवजे के लिए
आवेदन कैसे करें

श्रम वभाग

परचिय

यह पत्रक घातक मामलों में मुआवजे के लिए कर्मचारी मुआवजा अध्यादेश (ECO) के प्रमुख प्रावधानों को संक्षिप्त रूप से बताता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ECO स्वयं समझाए गए प्रावधानों के लिए एकमात्र प्राधिकारी है।

I. ECO की उपयुक्तता और मुआवजे के प्रकार

यदि कोई कर्मचारी किसी दुर्घटना (या एक निर्धारित व्यावसायिक बीमारी) के परिणामस्वरूप और रोजगार के दौरान मर जाता है, तो ECO के अधीन न्योक्ता i) उसके परिवार के जीवित सदस्यों को उसकी मृत्यु के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए; और ii) मृत कर्मचारी के अंतिम संस्कार और चिकित्सा परचर्या के खर्चों की प्रतपूर्तिकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

(i) मृत्यु के लिए मुआवजा

परिवार के पात्र सदस्य

मृत्यु के मुआवजे को मृतक कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्यों के बीच ECO में निर्धारित तरीके से वभाजित किया जाएगा (कृपया विवरण के लिए "अनुसूची" देखें)। ECO के तहत, मृतक कर्मचारी के "परिवार के सदस्य" (चाहे रक्त संबंधित या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त गोद लेने से) हैं:

- एक जीवनसाथी या सहवासी ("सहवासी" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो संबंधित दुर्घटना के समय कर्मचारी के साथ कर्मचारी की पत्नी या पति के रूप में रह रहा था);
- एक बच्चा;
- एक माता-पिता या दादा-दादी; या
- एक पोता, सौतेले माता-पिता, सौतेला बच्चा, भाई, बहन, सास, ससुर, दामाद, बहू, साला, भाभी, खून के रश्ति के भाई या बहन का बच्चा, सौतेला भाई और सौतेली बहन, जिनमें से कोई भी दुर्घटना से ठीक पहले 24 महीने की अवधि के लिए एक ही परिवार के सदस्य के रूप में कर्मचारी के साथ रह रहा हो।

मृत्यु के लिए मुआवजे की गणना कैसे की जाती है?

मृतक कर्मचारी की आय	मुआवजे की राशि	
40 से कम	84 महीने' की कमाई'	या मुआवजे की न्यूनतम राशि*, जो भी अधिक हो
40 से 56 से कम	60 महीने' की कमाई*	
56 या अधिक	<u>36 महीने' की कमाई*</u>	

***13 अप्रैल 2023 या उसके बाद हुई दुर्घटनाओं के लिए:**

- (a) मृत्यु के लिए मुआवजे की गणना के उद्देश्य से अधिकतम मासिक आय: \$36,550; तथा
- (b) मृत्यु के लिए मुआवजे की न्यूनतम राशि: \$486,300 ।

15 अप्रैल 2021 से 12 अप्रैल 2023 के बीच किसी भी तारीख को हुई दुर्घटनाओं के लिए:

- (a) मृत्यु के लिए मुआवजे की गणना के उद्देश्य से अधिकतम मासिक आय: \$35,600 ; तथा
- (b) मृत्यु के लिए मुआवजे की न्यूनतम राशि: \$473,610 ।

(ii) अंतिम संस्कार और चिकित्सा परचिर्या खर्च

मृतक कर्मचारी के अंतिम संस्कार और चिकित्सा परचिर्या के उचित खर्चों की प्रतपूर्ति नियोक्ता द्वारा किसी भी उस व्यक्ति को भुगतान की जाएगी जिसने खर्चों का भुगतान किया है। अंतिम संस्कार और चिकित्सा परचिर्या व्यय की प्रतपूर्ति योग्य अधिकतम राशि है:

- 13 अप्रैल 2023 या उसके बाद हुई दुर्घटनाओं के लिए: \$94,690 ।
- 15 अप्रैल 2021 से 12 अप्रैल 2023 के बीच किसी भी तारीख को हुई दुर्घटनाओं के लिए: \$92,670 ।

II. घातक मुआवजे के लिए दावों का निर्धारण

(i) श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारण

उपयुक्तता

एक घातक मामले में नियोक्ता की लिखित सहमति प्राप्त होने पर और श्रम आयुक्त (आयुक्त) द्वारा निर्धारण के लिए दावेदारों के आवेदन प्राप्त होने पर, आयुक्त, यदि उसके/उसकी राय में घातक मुआवजे के लिए दावा निर्धारण के लिए उपयुक्त है, तो मृत्यु और / या अंतिम संस्कार और चिकित्सा परचिर्या देय खर्चों के लिए मुआवजे की राशि निर्धारित की जाएगी, और यह निर्धारित किया जाएगा कि कनि व्यक्तियों को इस तरह के मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

आवेदन अवधि

मृत्यु के लिए मुआवजा:	कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 6 महीने के भीतर
अंतिम संस्कार और चिकित्सा परचिर्या खर्चों की प्रतपूर्ति:	कर्मचारी के अंतिम संस्कार/दफन करने के दिन से 30 दिनों के भीतर या जिस दिन आयुक्त को निर्धारण के लिए नियोक्ता की लिखित सहमति प्राप्त होती है, जो भी बाद में हो।

प्रमाणपत्रों का निर्धारण और जारी करना

मृत्यु और / या अंतिम संस्कार और चिकित्सा परचिर्या खर्चों के लिए मुआवजे के दावों का निर्धारण करने पर, आयुक्त सभी दावेदारों और नियोक्ता को देय मुआवजे की राशि और भुगतान किए जाने वाले पात्र व्यक्तियों को बताते हुए एक प्रमाण पत्र जारी करेगा।

केवल नियोक्ता या दावेदार ही आयुक्त द्वारा किए गए निर्धारण पर आपत्त कर सकते हैं। आपत्ति नोटिस प्राप्त होने पर, आयुक्त अपने निर्णय की समीक्षा करेंगे और एक समीक्षा प्रमाण पत्र जारी करेंगे। वैकल्पिक रूप से, दावे के लिए कोई भी पक्ष आयुक्त के फैसले के खिलाफ जिला अदालत में अपील कर सकता है।

अंतरिम भुगतान

यदि मृत्यु के मुआवजे के लिए दावा आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाना है, तो मृत कर्मचारी का जीवनसाथी (सहवासी सहित नहीं) मृत्यु के मुआवजे के निर्धारण की प्रतीक्षा करते हुए अंतरिम भुगतान के निर्धारण के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकता है। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, आयुक्त अपने निर्धारण का विवरण देते हुए एक प्रमाण पत्र जारी करेगा।

नियोक्ता द्वारा अंतरिम भुगतान मृतक कर्मचारी के जीवनसाथी को देय होगा। मृतक कर्मचारी की मासिक आय के 50% की दर से प्रारंभिक भुगतान और बाद के मासिक भुगतान को शामिल करते हुए, अंतरिम भुगतान कुल मिलाकर मृत्यु देय मुआवजे की कुल राशि के 45% से अधिक नहीं होगा। भुगतान किए गए अंतरिम भुगतान की कुल राशि जीवनसाथी को देय मृत्यु के मुआवजे से कटौती योग्य होगी।

(ii) अदालत द्वारा निर्धारण

आयुक्त को नियोक्ता और एक घातक मामले के दावेदारों के बीच कानून या तथ्य के मुद्दों पर विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ऐसे हालातों में जिनमें विवादों का समाधान नहीं हो पा रहा है, या नियोक्ता घातक मुआवजे के दावे का निर्धारण करने वाले आयुक्त को सहमत नहीं देता है, या आयुक्त की राय है कि दावा उसकी / उसके निर्धारण के लिए उपयुक्त नहीं है, यदि दावेदार अभी भी ECO के तहत अपना दावा जारी रखना चाहते हैं, तो उन्हें कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 24 महीने के भीतर जिला अदालत में अपना दावा दायर करना होगा। जिला न्यायालय में अपना दावा दायर करने के लिए, दावेदार यह कर सकते हैं:

- कानूनी सहायता के लिए कानूनी सहायता विभाग में आवेदन करें;
- जिला अदालत के साथ सीधे अपना दावा दायर करें; या
- अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील को शामिल करें।

LD (FCO) का घातक मामलों का कार्यालय, अनुरोध पर, दावेदारों को कानूनी सहायता विभाग या जिला अदालत में संदर्भित करके कानूनी सहायता के लिए आवेदन करने या सीधे अपना दावा दायर करने में सहायता करेगा।

III. आयुक्त द्वारा निर्धारण के लिए आवेदन कैसे करें?

जो दावेदार आयुक्त द्वारा घातक मुआवजे के निर्धारण के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें FCO के साथ साक्षात्कार के लिए मिलने का समय नश्चिति (अपॉइंट्मन्ट) करना चाहिए और नमिनलखिति दस्तावेजों को अपने साथ निर्धारित साक्षात्कार में लाना चाहिए:

- उसकी / उसका अपना पहचान पत्र;
- मृतक कर्मचारी का पहचान पत्र;
- मृत्यु का प्रमाण पत्र या मृतक के शरीर को दफन करने / अंतिम संस्कार को अधिकृत करने के आदेश का प्रमाण पत्र; तथा
- मृतक और दावेदारों के बीच के संबंधों को प्रमाणित करने वाले प्रासंगिक दस्तावेज, जैसे विवाह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या नविस का प्रमाण।

हांगकांग के बाहर रहने वाले दावेदार जो निर्धारण का आवेदन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से FCO से संपर्क नहीं कर सकते, वे अपनी ओर से आवेदन करने के लिए एक प्रतिनिधि को अधिकृत करने पर विचार कर सकते हैं और उन्हें नमिनलखिति दस्तावेज प्रदान करने होंगे:

- दावेदारों की पहचान के दस्तावेजों की एक प्रती, जैसे पहचान पत्र, पासपोर्ट;
- मृतक कर्मचारी और दावेदारों के बीच संबंधों को प्रमाणित करने वाले प्रमाण पत्र / दस्तावेज; तथा
- दावेदारों की ओर से ECO के तहत घातक मुआवजे का अनुसरण करने के लिए अधिकृत व्यक्ति की पहचान निर्धारित करने वाला एक मुख्तारनामा।

यदि दस्तावेज़ HKSAR सरकार / सार्वजनिक संस्थानों द्वारा जारी नहीं किया गया था, तो दस्तावेजों (और इसका अंग्रेजी अनुवाद यदि वे चीनी या अंग्रेजी में नहीं हैं) को जारी करने वाले स्थानीय अधिकारियों या लेख्य प्रमाणकों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और चीन के वदेश मंत्रालय के दूतावास विभाग के एक अधिकारी (चीन में अधिकारियों द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों के लिए) या एक वदेशी चीनी दूतावास अधिकारी (अन्य देशों द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों के लिए) द्वारा समर्थित होना चाहिए।

IV. नियोक्ताओं को क्या करना चाहिए?

ECO निर्धारित करता है कि किसी भी दुर्घटना की सूचना जिसके परिणामस्वरूप एक घातक मामले में कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, नियोक्ता द्वारा आयुक्त को निर्धारित प्रपत्र (यानी फॉर्म 2 / फॉर्म 2A) में दुर्घटना के सात दिनों के अंदर जाएगी, चाहे दुर्घटना मुआवजे के भुगतान की किसी दायित्व को जन्म देती है या नहीं। एक नियोक्ता, जो बिना किसी उचित बहाने के, दुर्घटना की सूचना देने में वफिल रहता है या आयुक्त को कोई गलत जानकारी प्रस्तुत करता है, एक अपराध करता है और दोषी ठहराए जाने पर \$50,000 के अधिकतम जुर्माने के लिए उत्तरदाई है।

यदि नियोक्ता ECO के तहत घातक मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व पर विवाद नहीं करता है, तो वह दावे का निर्धारण करने वाले आयुक्त को लिखित रूप में सहमत दे सकता/सकती है। आयुक्त द्वारा संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने पर, यदि किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति या अपील नहीं की जाती है तो नियोक्ता मृत्यु के लिए मुआवजे का भुगतान और / या अंतिम संस्कार और चिकित्सा परचर्या खर्चों की प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार करेगा।

एक नियोक्ता, जो उचित बहाने के बिना, एक प्रमाण पत्र / समीक्षा प्रमाण पत्र के अनुसार भुगतान करने में वफिल रहता है, वह प्रमाण पत्र / समीक्षा प्रमाण पत्र पर बताए गए मुआवजे / भुगतान की राशिके अलावा अधिभार का भुगतान करेगा। नियोक्ता भी एक आपराधिक अपराध करता है और दोषी ठहराए जाने पर \$100,000 के अधिकतम जुर्माने के लिए उत्तरदायी है।

V. अधिक जानकारी कहां से प्राप्त करें?

घातक मामले कार्यालय
कर्मचारी मुआवजा प्रभाग
श्रम विभाग
6/F, हार्वर बिल्डिंग,
38 पियर रोड, सेंट्रल,
हॉंगकांग
दूरभाष: 2852 3994
फैक्स: 2854 4166

Fatal Cases Office
Employees' Compensation Division
Labour Department
6/F, Harbour Building,
38 Pier Road, Central,
Hong Kong
Tel: 2852 3994
Fax: 2854 4166

(इस पत्रक की सामग्री श्रम विभाग के मुख पृष्ठ पर भी उपलब्ध है
<http://www.labour.gov.hk>)

अनुसूची: मृत्यु के लिए मुआवजे का आबंटन

मुआवजे के लिए पात्र परिवार के सदस्य	मुआवजे का आबंटन
1. केवल जीवनसाथी / सहवासी	जीवनसाथी / सहवासी को 100%
2. केवल बच्चा (बच्चे)	बच्चे(चों) को 100%
3. केवल माता-पति(ओं) / दादा-दादी(यों)	माता-पति(ओं) / दादा-दादी(यों) को 100%
4. केवल जीवनसाथी / सहवासी और बच्चा (बच्चे)	जीवनसाथी / सहवासी को 50% बच्चे (बच्चों) को 50%
5. केवल जीवनसाथी / सहवासी और माता-पति(ओं) / दादा-दादी(यों)	जीवनसाथी / सहवासी को 80% माता-पति(ओं) / दादा-दादी(यों) को 20%
5. केवल जीवनसाथी / सहवासी, बच्चा (बच्चे) और माता-पति(ओं) / दादा-दादी(यों) (चाहे परिवार का/के अन्य सदस्य(यों) योग्य हो या नहीं)	जीवनसाथी / सहवासी को 45% बच्चे(चों) को 45% माता-पति (ओं) / दादा-दादी(यों) को 10% परिवार के अन्य सदस्य(यों) / मुआवजे के हकदार नहीं हैं
5. केवल बच्चा (बच्चे) और माता-पति(ओं) / दादा-दादी(यों)	बच्चे(बच्चों) को 80% माता-पति(ओं) / दादा-दादी(यों) को 20%
8. परिवार के केवल अन्य सदस्य(यों) जिनके पास कोई जीवित जीवनसाथी नहीं है / सहवासी, बच्चा (बच्चे) या माता-पति(ओं) / दादा-दादी(यों)	परिवार के अन्य सदस्य(यों) को 100%
9. केवल जीवनसाथी / सहवासी और परिवार के अन्य सदस्य(यों)	जीवनसाथी / सहवासी को 95% परिवार के अन्य सदस्य(यों) को 5%
10. केवल बच्चा (बच्चे) और परिवार के अन्य सदस्य(यों)	बच्चे(चों) को 95% परिवार के अन्य सदस्य(यों) को 5%
11. केवल माता-पति(ओं) / दादा-दादी(ओं) और परिवार के अन्य सदस्य(यों)	माता-पति(ओं) / दादा-दादी(यों) को 95% परिवार के अन्य सदस्य(ओं) को 5%
12. केवल जीवनसाथी / सहवासी, बच्चा (बच्चे) और परिवार के अन्य सदस्य(यों)	जीवनसाथी / सहवासी को 50% बच्चे(चों) को 45% परिवार के अन्य सदस्य(यों) को 5%
13. केवल जीवनसाथी / सहवासी, माता-पति(ओं) / दादा-दादी(यों) और परिवार के अन्य सदस्य(यों)	जीवनसाथी / सहवासी को 75% माता-पति(ओं) / दादा-दादी(यों) को 20% परिवार के अन्य सदस्य(यों) को 5%
13. केवल बच्चा (बच्चे), माता-पति(ओं) / दादा-दादी(यों) और परिवार के अन्य सदस्य(यों)	बच्चे(चों) को 75% माता-पति(ओं) / दादा-दादी(यों) को 20% परिवार के अन्य सदस्य(यों) को 5%

टिप्पणी 1: यदि एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र व्यक्ति हैं, तो मुआवजे की राशि उनके बीच समान रूप से साझा की जाएगी। हालांकि, जहां मृतक कर्मचारी के परिवार में माता-पति(ओं) और दादा-दादी(यों) दोनों रहते हैं, तो परिवार के सदस्यों की इस श्रेणी को देय मुआवजे की राशि निम्नानुसार बंभाजित की जाएगी: माता-पति(ओं) को 70%

दादा-दादी(यों) को 30%

टिप्पणी 2: परिवार के अन्य सदस्य(यों) में शामिल है पोता, सौतेला माता-पति, सौतेला बच्चा, भाई, बहन, सास, ससुर, दामाद, बहू, साला, भाभी, खून के रिश्ते के भाई या बहन का बच्चा, सौतेला भाई और सौतेली बहन, जिनमें से कोई भी दुर्घटना से ठीक पहले 24 महीने की अवधि के लिए एक ही परिवार के सदस्य के रूप में कर्मचारी के साथ रह रहा हो।